<u>आ0शा0प0स0—4247 / 69—1—2000</u>

प्रेषक,

श्री आर0 एस0 लाखा,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक—23 नवम्बर, 2000

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि मुख्य सचिव के पत्र संख्या 96 / 69—1—97—68 एन0आर0वाई / 94 टी0सी0 दिनांक 17 जनवरी 1998 एवं 624 / 69—1—99—68 एन0आर0वाई0 / 94 टी0सी0 दिनांक 25 फरवरी 1999 के माध्यम से अपने विभाग की आवंटित धनराशि में से कुछ प्रतिशत धनराशि मलिन बस्तियों के लिए निर्धारित कर अभिसरण के माध्यम से विकास कराया जाए।

उक्त के परिपेक्ष्य में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30.10.2000 को प्रदेश में स्पेशन कम्पोनेन्ट प्लान की समीक्षा बैठक के अंतर्गत अभिकरण के प्रस्तावों पर मुख्य सचिव द्वारा आदेश दिये गये थे कि मलिन बस्तियों में अवस्थापना सुविधा कम्पोनेन्ट प्लान योजना का विशेष लाभ नहीं पहुंचा पा रहा है। अतः सूडा नगरीय क्षेत्रों के लिए मलिन बस्तियों में अवस्थापना सुविधा का उपलब्ध कराने हेतु एक समेकित प्रसताव तैयार करें। इस समेकित प्रस्ताव में अनुसूचित जाति की मलिन बस्तियों को चयनित करके न बस्तियों में न्यूनतम आवश्यकता के सिद्धान्तों को वर्तमान अवस्थापना सुविधाओं को विस्तृत एवं क्रिटीकल गैपस को पूरा करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। जिसमें ऐसे अन्य सभी विभागों के परिव्यय शामिल किया जाए जो कि वर्तमान में शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुसार परिव्यय नहीं पा रहा है।

मुख्य सचिव महोदय के उपरोक्त निर्देश व समाज कल्याण आयुक्त के मार्ग दर्शन में प्रदेश में 119 ऐसी मलिन बस्तियों का चयन प्रस्तावित कर उनमें स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना के अंतर्गत आपके विभाग से संबंधित अंश सम्मिलित कर लिया गया है। प्रदेश में वर्ष 2001—2002 में ऐसी 119 मलिन बस्तियों का चयन प्रस्तावति किया गया है। प्रत्येक मलिन बस्तियों के लिए मॉडल प्लान तैयार किया गया है। जिसके अंतर्गत मूलभूत न्यूनतम कार्यक्रम की सुविधाएं जैसे सी0सी0रोड, ड्रेन, सामुदायिक केन्द्र, सामुदायिक शौचालय, इंडिया मार्क—2 हैंड पम्प, विद्युतीकरा, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुदान आवासीय सुविधा, रोजगार हेतु दुकानों का निर्माण प्राइमरी पाठशाला, स्वः रोजगार हेतु पशुपालन के लिए ऋण, लाभार्थियों को स्व—रोजगार में लगने हेतु प्रशिक्षण की सुविधा ऐसे लाभार्थी जो स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं, को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लाभ उपलब्ध कराना।

उपरोक्तानुसार स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत अनुसूचित जाति के शहरी मलिन बस्तियों में समेकित विकास की योजना के लिए बस्ती की मॉडल योजना व आपके विभाग से सम्बन्धित परिव्यय रू0 2.67

करोड़ का विवरण जो समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया गया कि एक प्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि योजना क्रियान्वयन हेतु सहमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राम किशोर)
अनु0 सचिव

अध्यक्ष
जल निगम विभाग
राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

अर्द्ध शासकीय पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

महोदय,

उपरोक्त अर्द्धशासकीय पत्र की एक प्रति आपके सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

(एस0 आर0 लाखा)
सचिव

आयुक्त/प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र0, शासन।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति की 100 प्रतिशत जनसंख्या वाली अलग–अलग मलिन बस्ती लेकर उसके सर्वांगीण विकास की योजना।

प्रदेश में 2 अक्टूबर 1982 से स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना लागू हुई। इस योजना के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के लिए योजनायें बनाकर उनके व उनके क्षेत्र का विकास कर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। पिछले कई वर्षों से यह अनुभव किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार के अधिकतर विभाग व एजेन्सीज उक्त धनराशि का अधिकतम व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं जिससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाली 1.26 करोड़ की जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत जो कि अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है, को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य नगरीय अभिकरण की स्थापना शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में रह रहे विभिन्न जातियों के नागरिकों के उत्थान के लिए अभिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन मलिन बस्तियों के अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जाता है और साथ–साथ मलिन बस्तियों के निवासियों को आश्रय एवं रोजगार की सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं। राज्य नगरीय विकास अभिकरण को राष्ट्रीय बस्ती सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षभर में 4258 करोड़ रूपये का बजट उपलब्ध होता है जिसको प्रदेश की लगभग 7000 मलिन बस्तियों के लिए आवंटित किया जाता है। इन मलिन बस्तियों में रहने वाली लगभग 1.26 करोड़ की आबादी जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं, के सर्वांगीण विकास के लिए यह धनराशि अत्यन्त न्यून है। चूंकि इस संस्था को केवल शहरी क्षेत्र की मलिन बस्तियों के विकास के लिए बनाया गया है। अतः यह प्रस्ताव है कि शहरी क्षेत्र में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के क्रियान्वयन एवं समन्वय का कार्य सूडा द्वारा किया जाय। अभिकरण के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में जिला नगरीय विकास अभिकरण स्थापित है जो कि कलेक्टर की अध्यक्षता में कार्य करता है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में व स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना का लाभ शहरी क्षेत्रों में न पहुंच पाने के कारण यह प्रस्तावित है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में 100 प्रतिशत कलस्टर में रह रहे अनुसूचित जाति के लोगों की अलग–अलग मलिन बस्तियों का चयन किया जाये। चयन से पूर्व मलिन बस्तियों में वर्तमान अवस्थपना सुविधाओं का विवरण तैयार किया जायेगा व उक्त अवस्थपना सुविधाओं के ऊंचे स्तर पर लाने के लिए क्रिटिकल गैप्स को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत मूल बिन्दू को ध्यान में रखा जा रहा है कि अनुसूचित जाति की बस्ती में न उत्थान के लिए आवश्यक सुविधायें जैसे–शैक्षिक, आवासीय, रोजगार, स्वास्थ्य इत्यादि भी उपलब्ध करायी जायेगी। इस संबंध में प्रत्येक जनपद में अलग–अलग अनुसूचित जाति की मलिन बस्ती के चयन के निर्देश अभिकरण द्वारा पूर्व में ही दिये जा चुके हैं। यहां एक उल्लेखनीय है कि अभिकरण को इन कार्यों के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त परिव्यय की आवश्यकता पड़ेगी। राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना जिन–जिन नगरों में लागू है उन–उन नगरों के कुल आवंटन में से उपलब्ध 21 प्रतिशत की धनराशि को राज्य सरकार से मिलने वाले परिव्यय से डबलेट किया जायेगा। इस योजना में प्रत्येक मलिन बस्ती में निम्न सुविधायें दिया जाना प्रस्तावित है।

जैसे सी0सी0रोड, ड्रेन, सामुदायिक केन्द्र, सामुदायिक शौचालय, इंडिया मार्क–2 हैंड पम्प, विद्युतीकरण, स्वः रोजगार के अंतर्गत अनुदान, आवासीय सुविधा, रोजगार हेतु दुकानों का निर्माण, प्राइमरी पाठशाला, स्वः रोजगार हेतु पशुपालन के लिए ऋण, लाभार्थियों को स्वः रोजगार में लगने हेतु प्रशिक्षण की सुविधा ऐसे लाभार्थी जो स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है, को प्रधानमंत्री रोजागर योजना के अंतर्गत लाभ उपलब्ध कराना।

उपरोक्त में यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों के द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट के अंतर्गत मात्रा की गयी धनराशि का व्यय आबादी को न मिलने के कारण यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि नेडा/जल निगम/विद्युत विभाग/बेसिक शिक्षा/आवास/दुग्ध विकास/रोजगार एवं प्रशिक्षण/लघु उद्योग विभाग/स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा मात्राकृत की गयी धनराशि में से सूडा को इन बस्तियों हेतु इन विभागों से सम्बन्धित

विकास के कार्यो हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जा सकती है।

उपरोक्त सिद्धान्त के आधार पर मलिन बस्तियों में कार्य हेतु एक मॉडल योजना बनायी गयी है। इसके अनुसार 500 परिवारों की एक मलिन बस्ती के लिए कम से कम एक करोड़ रूपये प्रति मलिन बस्ती व्यय होने की सम्भावना है। यदि सैद्धान्तिक रूप से इसे स्वीकृत दी जाती है तो प्रत्येक मलिन बस्ती जिनके नाम बाल्मिकी बस्ती, अम्बेडकर बस्ती, अन्त्योदय मार्गदर्शक बिन्दुओं के आधार पर बनायी जा सकती है। यहां यह भी सोचा जा सकता है कि 12 नगर निगमों के क्षेत्र में 4–4 मलिन बस्ती ले जी जाये। नगर पालिका व टाउन ऐरिया के क्षेत्र में एक–एक मलिन बस्ती ले ली जाये। इस प्रकार 1119 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। विभागवार फांट संलग्न विवरण में दिया जा रहा है। यदि सहमत हो तो उपरोक्तानुसार विस्तृत योजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिलाने का कष्ट करें ताकि विस्तृत योजनाएं मंगाई जा सकें।

S.No.	PROGRAMME	9TH Programme	1999-2000			Anticipated Exp. 2000-2001	Purposed Qutlay 2000-2001
			outlay .	Rel.	Exp		
1-	SJSRY	3500	491.27	97.03	97.03	291.27	349.52
2.	NSDP	6500	1690.00	968.79	968.25	968.25	1161.89
3.	Model scheme for cent./percent SC population urban slum area						11900.00

माडल योजना

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति की 100 प्रतिशत जनसंख्या वाली अलग–अलग मलिन बस्ती लेकर उसके सर्वागीण विका की योजना।	

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
कार्यक्रम विभाग उ0प्र0

रूपये लाखों में

क्रम संख्या	लाभार्थीपरक योजनाएं	मद	प्रस्तावित परिव्यय		भौतिक		विभाग से प्रस्तावित
			कुल	एस0एसी0पी0	कुल	एस0एसी0पी0	
1	स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजनाएं		1053.60	349.52	1130000	217000	.
2.	राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम		4582.50	1161.89	3293000	700000	.
	माडल योजना	**TOTAL**	**5636.00**	**1511.41**	**4423000**	**917000**	
1.	सी0सी0रोड	238 km.	-	1428.00	—	28560	पी0डब्लू0डी0
2..	नाली निर्माण	238 km.	-	595.00	—	11900	नगर विकास
3.	स्टीम वाटर ड्रेनैज	119 km.	-	535.00	.	10710	नगर विकास
4.	सामुदायिक केन्द्र	119 NO.	-	416.00	.	8330	नगर विकास
5.	सामुदायिक शौचालय	238 km.	-	1071.00	.	21420	नेडा
6.	हैण्ड पम्प इण्डिया मार्का–2	1190 NO.	-	267.75	.	5355	जल निगम
7.	विद्युतीकरण	8925 NO.	-	595.00	.	11900	यूपीएसईबी
8.	स्वरोजगार लाभार्थी	11900 NO.	-	892.50	.	17850	समाज कल्याण
9.	निर्बल आवास	23800 NO.	-	4760.00	.	95200	आवास
10.	दुकान निर्माण	2380 NO.	-	386.75	.	7735	समाज कल्याण
11.	प्राइमरी स्कूल	119 NO.	-	476.00	.	9520	बेसिक शिक्षा
12.	प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र	119 NO.	-	476.00	.	9520	स्वास्थ्य
	योग			**11900.00**		**238000**	

नोट : उपरोक्त समस्त मद के कार्य लोक निमार्ण विभाग, नगर विकास, नेडा, जल निगम यूपीएसईबी, समाज कल्याण आवास, बेसिक शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से अथवा डाबटैल कर सूडा द्वारा कराया जाना प्रस्तावित हैं जिसमें कुल परियोजना की राशि का 21 प्रतिशत सूडा द्वारा संचालित योजनाओं से डबटैल किया जायेगा।